Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **जयपुर विकास प्राधिकरण के अधीक्षण अभियन्ता, श्री अविनाश शर्मा के विरूद्ध दर्ज आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने के मामले में जयपुर स्थित 7 ठिकानों पर सर्च**
- **सर्च कार्यवाही में करीब 13 लाख रूपये की नगदी, 100 से अधिक सम्पत्तियों के दस्तावेज, 1.34 करोड रूपये म्यूचुअल फण्ड में निवेश के दस्तावेज मिले।**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, 11 मार्च मंगलवार/ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. की विभिन्न टीमों द्वारा **जयपुर** में आज अल सुबह कार्यवाही करते हुये अविनाश शर्मा अधीक्षण अभियन्ता जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के विरूद्ध दर्ज आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने के प्रकरण में आरोपी के 7 विभिन्न ठिकानों पर छापा मारकर तलाशी अभियान चलाया गया ।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि ब्यूरो मुख्यालय को गोपनीय सूत्र–सूचना प्राप्त हुई थी कि अविनाश शर्मा अधीक्षण अभियन्ता जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर द्वारा भ्रष्टाचार के साधनों द्वारा अपने एवं अपने परिजनों के नाम से अपनी वैध आय से आनुपातिक रूप से अधिक चल–अचल सम्पत्तियाँ अर्जित की गई है, जिनकी अनुमानित खरीद कीमत करोड़ों रुपयों से अधिक है।

उक्त सूत्र–सूचना का ए.सी.बी. की **आसूचना शाखा** द्वारा गोपनीय रूप से प्राथमिक सत्यापन किया गया तो उक्त अधिकारी द्वारा 40 से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने की पुष्टि हुई, जिस पर **ओपरेशन 40+ चलाया जाकर** विस्तृत रूप से तथ्य संकलित किये गये एवं तथ्यों की पुष्टि होने पर करीब 6,25,91,051/रूपये **(253 प्रतिशत)** की परिसम्पतियां वैध **आय से अधिक अर्जित का मामला** बनना पाये जाने पर प्रकरण दर्ज किया गया। एसीबी जयपुर के **उप महानिरीक्षक श्री राहुल कोटोकी** के सुपरवीजन में ए.सी.बी. की जयपुर नगर तृतीय इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री ज्ञानप्रकाश नवल, अनुसंधान अधिकारी** के नेतृत्व में सक्षम न्यायालय से तलाशी वारंट प्राप्त किया जाकर श्री झाबरमल एएसपी चौकी टोंक, श्री सुरेन्द्र शर्मा एएसपी चौकी सवाईमाधोपुर, श्री नवल किशोर उप अधीक्षक पुलिस एसीबी चौकी दौसा, श्री दीनदयाल पुलिस निरीक्षक एसीबी चौकी अजमेर, रघुवीर शरण शर्मा पुलिस निरीक्षक एसीबी चौकी एसआईयू जयपुर, श्री छोटीलाल मीणा पुलिस निरीक्षक एसीबी चौकी चतुर्थ जयपुर की विभिन्न टीमों ने एक साथ, आज अलसुबह आरोपी के जयपुर स्थित 7 विभिन्न ठिकानों पर तलाशी की कार्रवाई की गई। जयपुर विकास प्राधिकरण के विभिन्न जोन में पृथक से आरोपी की सम्पत्तियों का विवरण प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त 6 टीमें लगाई गई।

अब तक की गई सर्च कार्यवाही में आरोपी व इसके परिवाजनों के नाम जयपुर में **100 से अधिक सम्पत्तियों के दस्तावेज** मिले। संदिग्ध अधिकारी के जयपुर स्थित आवास की तलाशी में **करीब 13 लाख रूपये नगदी**, करीब **140 ग्राम सोने के आभूषण**, करीब **500 ग्राम चांदी के**

आभूषण मिले। संदिग्ध अधिकारी व परिवारजनों के **कुल 7 बैंक खातों में करीब 30 लाख रूपये** मिले। संदिग्ध अधिकारी द्वारा **म्यूचुअल फण्ड व शेयर मार्केट में करीब 1 करोड 34 लाख रूपये** का निवेश का हिसाब किताब मिला। संदिग्ध अधिकारी द्वारा चौपहिया व दूपहिया वाहनों को क्रय करने व संचालन में **करीब 25 लाख रूपये** व्यय करना पाया गया। इसके अतिरिक्त आरोपी के बच्चों की शिक्षा संबंधित दस्तावेज, अनेक बीमा पॉलिसियों में निवेश, दो बैंक लॉकर भी मिले। **बैंक लॉकरों की तलाशी लिया जाना शेष है। आरोपी के निवास स्थान पर सर्च कार्यवाही एवं जयपुर विकास प्राधिकरण के विभिन्न जोन में आरोपी की सम्पत्ति की तलाश की कार्यवाही जारी है।**

ब्यूरो के प्राथमिक आकलन, प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं अब तक तलाशी में मिले दस्तावेजों के अनुसार आरोपी अविनाश शर्मा द्वारा अपने सेवाकाल में भ्रष्टाचार के साधनों द्वारा करोड़ों रूपये की खरीद कीमत की अनेक चल–अचल परिसम्पत्तियां अर्जित करने का अनुमान है, जो उनकी वैध आय से आनुपातिक रूप से बहुत अधिक है इसके अतिरिक्त आरोपी एवं उसके परिजनों द्वारा कई बेनामी परिसम्पत्तियों में निवेश के साक्ष्य मिले हैं, जिनकी विस्तृत जाँच की जायेगी।

एसीबी की **अतिरिक्त महानिदेशक श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव** के निर्देशन में ए.सी.बी. की विभिन्न टीमों द्वारा आरोपी के ठिकानों पर तलाशी अभियान जारी है। मामले में एसीबी द्वारा आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने के प्रकरण में अग्रिम अनुसंधान किया जावेगा।